

दिल्ली विकास प्राधिकरण
उद्यान खण्ड-IV
शेख सराय फेस-1, नई दिल्ली - 110017

सं०. एफ. एसआर/नीलामी अधिकारी/उ०ख०-IV/दि०वि०प्रा०/2022-23/10 दिनांक : 19.07.2022

शुद्धिपत्र : पिछली सूचना पत्र सं० सं०. एफ. एसआर/नीलामीअधिकारी/उ०ख०-IV/दि०वि०प्रा०/2022-23/09
दिनांक : 02.07.2022 को रद्द दिया गया था ।

पुनः आमंत्रित सूचना


उद्यान खण्ड-IV में हौस खास झील क्षेत्र की कैट फिश की निष्कासन हेतु नीलामी नीचे दर्शाए गए दिनांक एवं समय पर की जायेगी। नियम एवं शर्तों का विवरण अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस में 25-07-2022 तक देखा जा सकता है ।

उच्चतम बोली की पूरी राशि उच्चतम बोली लगाने वाले को उसी समय पर जमा करनी होगी। उप-निदेशक (उद्यान)/उ०ख०-IV, दि०वि०प्रा०, को बिना बताए बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। अधिक जानकारी के लिए अद्योहस्ताक्षरी से संपर्क किया जा सकता है।

नोट :-


1. धरोहर राशि का 20% बोलीदाताओं को दिनांक 16.07.2022 तक, **Demand Draft (D.D.)** के रूप में या **RTGS/NEFT in the account of Sr. A.O (CAU) South Zone having Account No. 16651110000012 and IFSC code HDFC0001665 Branch (HDFC Bank) G-8, Hauz Khas, New Delhi-110016** के नाम कार्यालय में जमा करवाना होगा ।
2. बोली जमा करने से पहले, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे नीलामी अधिकारी को जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र जमा करें।
3. भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर से जीएसटी लगेगा, जोकि बोली दाता से भुगतान विभाग को किया जाएगा।

क्रम सं०	क्षेत्र का नाम	धरोहर राशि	अनुमोदन संख्या	नीलामी की तिथि और समय
1.	झील क्षेत्र जिला उद्यान हौस खास सामने आर. के. पुरम ।	रु० 20000/-	E-Office - Approval no. File No. - Hort./Hort./0017/2022/A.E.-P/F.3- A.D. (I)-Hort. Divn-IV (Computer No.38341)	दिनांक 27.07.2022, समय दोपहर 3:00 PM, स्थान-शेख सराय फेस - 1, नई दिल्ली - 17


नीलामी अधिकारी
उद्यान खण्ड-IV, दि०वि०प्रा०।

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक (उद्यान) दक्षिणी-पूर्वी दि०वि०प्रा०।
2. उपनिदेशक (उद्यान) प्रथम से तृतीय, पंचम से दशम और द्वारका दि०वि०प्रा०।
3. लेखाअधिकारी (उद्यान) दक्षिणी क्षेत्र ।
4. सहायक निदेशक (उद्यान) प्रथम से पंचम उद्यान खण्ड-IV, दि०वि०प्रा०।
5. सहायक लेखाअधिकारी (उद्यान) उद्यान खण्ड-IV, दि०वि०प्रा०।
6. सूचना पद ।
7. कार्यालय प्रति ।


नीलामी अधिकारी
उद्यान खण्ड-IV, दि०वि०प्रा०।